संख्याः 1303 / पैंतीस–2–2013

प्रेषक,

हरीश चन्द्र मित्रा,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–2

लखनऊः दिनांक 30 अगस्त, 2013

विषय– **तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने हेतु शेष अवधि वर्ष 2013–14 और 2014–15 के लिए कुल धनराशि रू0 70.00 करोड़ के व्यय हेतु संशोधित कार्य योजना उपलबध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 261(शा)/एस0एस0एस0पी0सेल–2/2011(टी0सी0) दिनांक 30.07.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु रू0 70.00 करोड़ की संशोधित कार्ययोजना दिनांक 19.08.2013 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में अनुमोदित कर दी गयी है। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरीश चन्द्र मित्रा)
संयुक्त सचिव।

स्पीड पोस्ट

मुकेश मित्तल,
सचिव, वित्त ।

अर्द्ध0शा0प0सं0-एफ0सी0-७२२/दस-2013-20/2010
वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग
उत्तर प्रदेश शासन ।

लखनऊ : दिनांक 06 सितम्बर, 2013

प्रिय महोदय,

कृपया प्रमुख सचिव, वित्त के अर्द्धशा0प0सं0-एफ0सी0-99/दस-2011/20/2010 दिनांक 25 मार्च, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु पांच वर्षों की पूर्ण कार्य-योजना उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त कर प्रेषित की गई थी । केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी रीति विधान (instructions) के दृष्टिगत नियोजन विभाग द्वारा पूर्व अनुमोदित योजना संशोधित की गई है । रु0 70.00 करोड़ की संशोधित योजना उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की दिनांक 19.08.2013 को आयोजित बैठक में अनुमोदित की गई है (कार्यवृत्त संलग्न) जिसकी प्रति आपको सूचनार्थ प्रेषित की जा चुकी है ।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(मुकेश मित्तल)

श्री आलोक चन्द्र,
निदेशक,
वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
ब्लाक न0-11, पंचम तल, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 ।

संख्या-एफ0सी0-७२२(i)/दस-2013-20/2010 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 ।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(मुकेश मित्तल)
सचिव, वित्त ।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग
संख्याः एफ0सी0– /दस–2013–29/2010
लखनऊः दिनांकः 10 अगस्त, 2013

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत सहायता अनुदान तथा स्थानीय निकायों हेतु अनुदान के उपयोग की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की दिनांक 19–08–2013 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक–यथोक्त

(राकेश चौबे)
विशेष सचिव, वित्त ।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
2. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास ।
4. प्रमुख सचिव,लोक निर्माण।
5. प्रमुख सचिव, वन।
6. प्रमुख सचिव, नियोजन ।
7. प्रमुख सचिव, सिंचाई ।
8. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई ।
9. प्रमुख सचिव, न्याय ।
10. प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस)।
11. प्रमुख सचिव, कार्मिक ।
12. प्रमुख सचिव, सांस्कृतिक कार्य ।
13. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन।
14. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा ।
15. प्रमुख सचिव, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत ।
16. प्रमुख सचिव, राजस्व ।
17. सचिव, राजस्व (आपदा राहत) ।

संख्या–एफ0सी0– (1)/दस–2013–29/2010 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को मुख्य सचिव के सूचनार्थ ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त को प्रमुख सचिव के सूचनार्थ ।
3. निजी सचिव, सचिव, वित्त (डा0 जोशी) को सचिव के सूचनार्थ ।
4. निजी सचिव, सचिव, वित्त (श्री मित्तल) को सचिव के सूचनार्थ ।

(राकेश चौबे)
विशेष सचिव, वित्त ।

2/–

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के उपयोग की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित "उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति' की बैठक दिनांक 19–08–2013 का कार्यवृत्त ।

बैठक का आरम्भ करते हुए प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा उ0 प्र0 के लिये वर्ष 2010–11 से 2014– 2015 तक की अवधि के लिये सहायता अनुदान, राज्य विशिष्ट अनुदान, स्थानीय निकाय अनुदान एवं आपदा राहत हेतु कुल रू0 26902.79 करोड़ के अनुदान की संस्तुति की गई है। उक्त संस्तुत धनराशि के सापेक्ष अद्यतन स्थिति के अनुसार प्रथम तीन वर्षो में प्रदेश को कुल रू0 15323.405 करोड़ का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ है जो कुल संस्तुत अनुदान का 56.9 प्रतिशत है । इसी सन्दर्भ में यह भी अवगत कराया गया कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के सापेक्ष प्राप्त अनुदान तथा उसके उपयोग की स्थिति से वर्तमान में गठित चौदहवें वित्त आयोग को भी अवगत कराया जाना होगा। प्रमुख सचिव,वित्त द्वारा विभागों का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया गया कि तेरहवें वित्त आयोग की अवधि 31 मार्च, 2015 को समाप्त हो जायेगी । अतः लगभग डेढ़ वर्ष की अवशेष अवधि में विभागों द्वारा यह प्रयास किया जाय कि प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग शीघातिशीघ्र कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजकर आगामी किश्तें अवमुक्त करायी जायें जिससे सम्पूर्ण संस्तुत अनुदान राशि भारत सरकार से प्राप्त की जा सके । तदोपरांत मुख्य सचिव द्वारा विभागवार प्रगति की समीक्षा की गई, जिसका विवरण अनुवर्ती प्रस्तरों में अंकित है:–

अ– <u>सहायता अनुदान</u>

1. <u>प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुदानः–</u>

प्रथम तीन वर्षो (वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13) हेतु संस्तुत अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हो गया है, जिसका उपयोग कर भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित कर दिया गया है । वर्ष 2013–14 के लिये संस्तुत अनुदान रू0 1192.00 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हो गया है । मुख्य सचिव द्वारा प्रगति की उक्त स्थिति के लिये शिक्षा विभाग की सराहना की गयी ।

(कार्यवाही– प्राथमिक शिक्षा)

2. <u>वन सम्बन्धी अनुदानः–</u>

भारत सरकार द्वारा प्रथम तीन वर्षो हेतु अवमुक्त अनुदान रू0 40.24 करोड़ के सापेक्ष विभाग से प्राप्त रू0 39.84 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं । वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये संस्तुत अनुदान रू0 20.12 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है । सचिव, वन द्वारा इस संदर्भ में अवगत कराया गया कि भारत सरकार के स्तर पर बैठक हो चुकी है तथा एक सप्ताह के अन्दर संस्तुत धनराशि प्रदेश को अवमुक्त हो जायेगी ।

(कार्यवाही– वन विभाग)

3. <u>ग्रिड से जुड़ी अक्षय ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन अनुदानः–</u>

ग्रिड से जुड़ी अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत सभी राज्यों हेतु रू0 5000 करोड़ की अनुदान राशि संस्तुत है जो दिनांक 31–3–2014 तक वास्तविक क्षमता परिवर्धन के आधार पर अन्तिम वर्ष 2014–15 में अवमुक्त होगी । विभाग द्वारा कुल 604 मेगावाट का

रू0 77.66 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजे जा सके हैं । मुख्य सचिव द्वारा अनुदान के उपयोग की धीमी गति के संबंध में जानकारी चाही गई, जिस पर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रातः/सायंकालीन अदालतों की मद में प्रतिवर्ष 68.168 करोड़ का उपयोग किया जाना है, किन्तु प्रस्तावित अदालतें क्रियाशील नहीं हो सकी हैं जिसके कारण धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका है । मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि इस संदर्भ में विभाग द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय,भारत सरकार को संपूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुये प्रातः/सायंकालीन अदालतों हेतु निर्धारित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में किये जाने के बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट कराकर 15 दिन के अन्दर अवगत कराया जाये । साथ ही प्रमुख सचिव, न्याय स्वयं समीक्षा करें और अपेक्षित प्रगति लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही– न्याय विभाग)

8– <u>जिला नवीकरण कोष के लिए अनुदानः–</u>

इस मद के अंतर्गत कुल संस्तुत रू0 70 करोड़ के सापेक्ष रू0 35 करोड़ की प्रथम किस्त प्रदेश को वर्ष 2011–12 में अवमुक्त की गई जिसे प्रदेश के सभी जनपदों को अवमुक्त किया गया, किन्तु इस धनराशि का पूर्ण व्यय कर वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित नहीं किया जा सका है । रू0 35 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने पर ही द्वितीय किश्त भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की जायेगी । मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि इस संदर्भ में जिलाधिकारियों को उनकी ओर से पत्र प्रेषित करने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाय तथा एक माह के अन्दर योजनायें चिन्हित कर अनुदान का उपयोग सुनिश्चित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया जाये ।

(कार्यवाही– राजस्व विभाग)

9– <u>सॉख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु अनुदानः–</u>

इस मद हेतु पांच वर्षो की अवधि के लिये रू0 70.00 करोड़ का अनुदान संस्तुत है जिसके सापेक्ष वर्ष 2011–12 में रू0 14.00 करोड़ की अनुदान राशि भारत सरकार से प्राप्त हो गई है, जिसके सापेक्ष कुल रू0 4.55 करोड़ व्यय किया गया है । विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि अक्टूबर, 2013 तक संपूर्ण धनराशि व्यय कर ली जायेगी । विभाग द्वारा 70 करोड़ की पूर्व अनुमोदित योजना का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे विचारोपरांत समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया ।

(कार्यवाही–नियोजन विभाग)

10– <u>सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिये डाटाबेस स्थापित करने हेतु अनुदानः–</u>

इस मद हेतु रू0 10.00 करोड़ का अनुदान संस्तुत है । वर्ष 2010–11 में प्राप्त रू0 2.5 करोड़ का उपयोग डेटाबेस तैयार करने में व्यय कर लिया गया है । प्रदेश के पेंशनभोगियों एवं सरकारी कर्मचारियों के डाटाबेस का 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है । डेटाबेस का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जाने पर भारत सरकार से रू0 7.50 करोड़ की अनुदान राशि प्राप्त होगी ।

(कार्यवाही– वित्त विभाग)

11– <u>सड़कों एवं पुलों के रख–रखाव हेतु अनुदानः–</u>

इस मद के अंतर्गत वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु संस्तुत पूर्ण धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हो गई है जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कर दिये गये है । वर्ष 2013–14 हेतु संस्तुत अनुदान राशि रू0 732.00 करोड़ भारत

परिवर्धन ही किया जा सका है। इस संदर्भ में विभागीय प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट किया गया कि 31 मार्च, 2014 तक उनके द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य 604 मेगावाट के स्थान पर 384 मेगावाट का लक्ष्य ही पूरा किया जा सकेगा । मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि विभाग द्वारा अधिक से अधिक क्षमता परिवर्धन के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जाय जिससे इस मद में अधिक से अधिक अनुदान प्रदेश को प्राप्त हो सके ।

(कार्यवाही– अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग)

4. <u>जल क्षेत्र प्रबन्धन हेतु अनुदानः–</u>

इस मद के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में रू0 341 करोड़ की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी, जिसके सापेक्ष विभाग से प्राप्त रू0 271.94 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं। शेष धनराशि का उपयोग शीघ्रता से किये जाने की अपेक्षा की गयी । इसके अतिरिक्त तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 हेतु संस्तुत अनुदान की अवमुक्ति के लिये निर्धारित शर्तो पर भी विस्तृत चर्चा हुई । प्रमुख सचिव, सिंचाई द्वारा अवगत कराया गया कि अनुदान के उपयोग की सभी शर्ते पूरी कर भारत सरकार से अनुदान प्राप्त कर लिया जायेगा । उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जल नियामक आयोग का गठन 03 सप्ताह के अन्दर अवश्य कर लिया जायेगा ।

(कार्यवाही–सिंचाई विभाग)

5– <u>यू0आई0डी0 के लिए प्रोत्साहन अनुदानः–</u>

इस मद के अंतर्गत प्रतिवर्ष संस्तुत रू0 118 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2010–11 में रू0 59 करोड़ की प्रथम किश्त प्रदेश को प्राप्त हुई जिसका व्यय न किये जाने के कारण आगामी किश्त भारत सरकार द्वारा अवमुक्त नहीं की गयी । प्रदेश में यू0आई0डी0 के स्थान पर एन0पी0आर0 योजना का क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है, इस संदर्भ में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिस पर मुख्य सचिव द्वारा चिंता व्यक्त की गई एवं विभागीय प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि प्रमुख सचिव, नियोजन, योजना के क्रियान्वयन में तेजी लायें, तथा यदि इस संदर्भ में कोई कठिनाई आ रही हो तो मुख्य सचिव के स्तर पर एक बैठक कराकर उसका निराकरण करा लिया जाये ।

(कार्यवाही– नियोजन विभाग)

6– <u>शिशु मृत्युदर घटाने के लिये प्रोत्साहन अनुदानः–</u>

बैठक में अवगत कराया गया कि वर्ष 2012–13 में आई0एम0आर0 में सुधार हेतु समस्त राज्यों के लिये संस्तुत रू0 1500 करोड़ की धनराशि में से उत्तर प्रदेश को मात्र रू0 4.34 करोड़ ही प्राप्त हुये हैं जो सबसे कम है । मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि अन्य प्रदेशों की तुलना में उ0प्र0 को कम धनराशि प्राप्त होने के कारणों का विश्लेषण किया जाये । इसके साथ यह भी निर्देशित किया गया कि आगामी वर्षो में इस मद के अंतर्गत अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करनें हेतु प्रदेश में चलाये जा रहे अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आई0एम0आर0 में सुधार लाने हेतु प्रयास किये जायें तथा इनका नियमित अनुश्रवण भी किया जाये । विभाग द्वारा रू0 4.34 करोड़ की कार्ययोजना बैठक में प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकृत किया गया ।

(कार्यवाही–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)

7– <u>न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु अनुदानः–</u>

इस मद के अंतर्गत प्रदेश में प्रतिवर्ष 129.15 करोड़ की अनुदान राशि प्राप्त होनी थी, जिसके सापेक्ष वर्ष 2010–11 में भारत सरकार से 129.15 करोड़ तथा वर्ष 2011–12 में 64.58 करोड़ का अनुदान ही प्राप्त हुआ । उक्त प्राप्त अनुदान राशि के सापेक्ष अब तक

सरकार द्वारा अवमुक्त कर दी गई है जिसका उपयोग निर्धारित मदों में सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये । मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अभी तक के प्रयासों की सराहना की गयी ।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग)

(ब)– <u>राज्य विशिष्ट अनुदानः–</u>

(i) <u>सीमावर्ती सड़कें</u>

इस मद हेतु वर्ष 2011–12 में भारत सरकार से रू0 62.50 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है जिसके सापेक्ष रू0 41.64 करोड़ व्यय कर लिया गया है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है, किन्तु भारत सरकार द्वारा अगली किश्त अवमुक्त नहीं की गई है । विभाग को निर्देश दिये गये कि धनराशि की अगली किश्त की अवमुक्ति हेतु भारत सरकार में अनुसरण किया जाये तथा प्राप्त शेष अनुदान राशि का सदुपयोग शीघ्र किया जाये ।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग)

(ii) <u>वाराणसी हेतु अवसंरचना सहायता</u> के अंतर्गत घाटों एवं कुण्डों के विकास हेतु रू0 11.25 करोड़, ब्रांच सीवर लाइन हेतु रू0 15.00 करोड़, आपातकालीन अग्निशमन सेवाओं हेतु रू0 05.00 करोड़, इस प्रकार कुल 31.25 करोड़ की अनुदान राशि वर्ष 2011–12 में प्राप्त हुई। उक्त अनुदान राशि के सापेक्ष अब तक कुल रू0 11.60 करोड़ का व्यय किया गया है, जिसमें रू0 10.50 करोड़ का ब्रांच सीवर लाइन से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है । विभाग के प्रतिनिधि द्वारा संस्तुत अनुदान के उपयोग में आ रही कठिनाइयों का उल्लेख किया गया, जिस पर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि वाराणसी अवसंरचना हेतु संस्तुत अनुदान के संबंध में उनके स्तर पर एक समीक्षा बैठक अलग से आयोजित करा ली जाये ।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग)

(iii) <u>पिछड़े क्षेत्रों के विकास के अंतर्गत सूखा रोकने के उपाय</u>

इस मद के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में प्राप्त रू0 50.00 करोड़ के सापेक्ष कुल रू0 63.19 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं। वर्ष 2012–13 हेतु संस्तुत अनुदान राशि रू0 50 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हो गई है, जिसका उपयोग सुनिश्चित किया जाये ।

(कार्यवाही–लघु सिंचाई विभाग)

(iv) <u>सड़क संयोजकता में सुधार के अंतर्गत</u> बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु प्राप्त रू0 37.50 करोड़ के सापेक्ष रू0 32.04 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्वांचल क्षेत्र हेतु प्राप्त रू0 37.50 करोड़ के सापेक्ष व्यय रू0 33.90 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेज दिये गये हैं। वर्ष 2012–13 हेतु संस्तुत अनुदान राशि भारत सरकार से प्राप्त हो गई है । वर्ष 2011–12 की अवशेष एवं 2012–13 की अनुदान राशि का शीघ्र सदुपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये ।

(कार्यवाही–लोक निर्माण विभाग)

(v) <u>गृह (पुलिस)</u> इस मद के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में भारत सरकार से प्राप्त रू0 83.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 78.88 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं । विभाग को निर्देशित किया गया कि भारत सरकार से अनुदान की अगली किश्त अवमुक्त कराये जाने हेतु अनुसरण किया जाये ।

(कार्यवाही–गृह (पुलिस) विभाग)

(vi) <u>मण्डी यार्ड के विकास</u> के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में भारत सरकार से प्राप्त रू0 88.50 करोड़ के सापेक्ष रू0 36.21 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं। विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डी यार्ड के निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है । माह अक्टूबर, 2013 तक अब तक अवमुक्त धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिये जायेंगे ।

(कार्यवाही–कृषि विपणन विभाग)

(vii) <u>विरासत</u> के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में भारत सरकार से रू0 28.86 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। सचिव, संस्कृति द्वारा अवगत कराया गया कि 30 नवम्बर, 2013 तक पूर्ण अनुदान राशि का उपयोग अनुमोदित मदों में कर लिया जायेगा ।

(कार्यवाही–सांस्कृतिक कार्य विभाग)

(viii) <u>लोक सेवा प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन :</u> विभागीय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि उपलब्ध हो गई है, तथा भारत सरकार से प्राप्त रू0 4.50 करोड़ का उपयोग कर लिया जायेगा ।

(कार्यवाही– कार्मिक विभाग)

(स) <u>नगरीय एवं ग्रामीण निकायों हेतु अनुदानः–</u> प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश की नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु वर्षवार संस्तुत अनुदान राशि भारत सरकार से नियमित रूप से प्राप्त हो रही है, जो निकायों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उपयोग हेतु उपलब्ध करा दी जाती है ।

(कार्यवाही– पंचायती राज/नगर विकास विभाग)

(द) आपदा राहत हेतु अनुदानः– प्रथम तीन वर्षो (2010–11, 2011–12 एवं 2012–13) हेतु संस्तुत अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हो गया है जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं । वर्ष 2013–14 हेतु संस्तुत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है । विभाग को अनुदान की अवमुक्ति हेतु भारत सरकार में अनुसरण करने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही– राजस्व (आपदा) विभाग)

बैठक के अंत में सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिये गये कि चौदहवें वित्त आयोग के निकट भविष्य में प्रदेश के प्रस्तावित भ्रमण के दृष्टिगत तेरहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि से कराये गये उल्लेखनीय कार्यो को चिन्हित कर एक सप्ताह के अन्दर वित्त विभाग को सूचित कर दें ।

मुख्य सचिव द्वारा चौदहवें वित्त आयोग हेतु सहायता/राज्य विशिष्ट अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह अपेक्षा की गयी कि मुख्य रूप से 03 मदों यथा–लोहिया ग्रामों में आंतरिक सड़कों (सी0सी0रोड) का निर्माण, 500 से अधिक आबादी/बसावट वाले ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना, एवं अल्पसंख्यक विभाग की एजूकेशनल हब योजना से संबंधित प्रस्तावों को विभागों से प्राप्त कर चौदहवें वित्त आयोग को भेजा जाये ।

धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

संख्या–एफ0सी0– 691 (2)/दस–2013–29/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0डी0 ए0 आई0), योजना आयोग, भारत सरकार, तीसरा तल, टावर–II, जीवन भारती भवन, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001 ।
2. सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सरदार पटेल भवन,संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 ।
3. सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार कमरा नं0–502, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 ।
4. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नीरामन भवन, नई दिल्ली–110001 ।
5. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 ।
6. सचिव, पर्यटन मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001 ।
7. सचिव, नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन, नीरामन भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110001 ।
8. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
9. सचिव, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली–110001 ।
10. सचिव, वार्डर मैनेजमेंट, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली–110001
11. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
12. सचिव, कृषि एवं सहभागिता मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 ।
13. संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, छठवां तल, सम्राट होटल, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली–110021 ।
14. संयुक्त सचिव, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, जैसलमेर हाउस, 26, मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011
15. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, भारत सरकार, सी0 जी0 ओ0 काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 ।
16. निदेशक, वित्त आयेाग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ब्लाक नं0–11, पंचम तल, सी0 जी0 ओ0 काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 ।
17. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
18. स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0–401–अम्बादीप विल्डिग–14, कस्तूरबा गॉधी मार्ग, नई दिल्ली।

(राकेश चौबे)
विशेष सचिव, वित्त ।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के उपयोग की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित "उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति" की बैठक दिनांक 19–08–2013 में उपस्थित अधिकारियों की सूची ।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम सुश्री / सर्वश्री	पदनाम	विभाग का नाम
1	2	3	4
1.	आनन्द मिश्र	प्रमुख सचिव	वित्त
2.	प्रवीर कुमार	प्रमुख सचिव	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
3.	दीपक सिंघल	प्रमुख सचिव	सिंचाई
4.	किशन सिंह अटोरिया	प्रमुख सचिव	राजस्व
5.	सुनील कुमार	प्रमुख सचिव	बेसिक शिक्षा
6.	संजीव सरन	सचिव	संस्कृति
7	एल0 वेंकटेश्वर लू	राहत आयुक्त	राजस्व
8	डा0 बी0एम0जोशी	सचिव	वित्त
9	मुकेश मित्तल	सचिव	वित्त
10	संजीव कुमार	सचिव	लोक निर्माण विभाग
11	पवन कुमार	सचिव	वन
12	बादल चटर्जी	विशेष सचिव	कृषि विपणन
13	भरत लाल राय	विशेष सचिव	पंचायतीराज
14	राजेन्द्र प्रसाद मिश्र	विशेष सचिव	गृह विभाग
15	देवेन्द्र नाथ वर्मा	विशेष सचिव	लघु सिंचाई
16	नीलम अहलावत	विशेष सचिव	नियोजन विभाग
17	श्री प्रकाश सिंह	विशेष सचिव	नगर विकास विभाग
18	बृजेश कुमार	विशेष सचिव	न्याय
19	राकेश चौबे	विशेष सचिव	वित्त
20	रति प्रकाश अरोड़ा	निदेशक	वैकल्पिक ऊर्जा (नेडा)
21	वी0पी0सिंह	निदेशक	सी0 एण्ड डी0एस0
22	नरेन्द्र कुमार सिंह	निदेशक, स्थानीय निकाय	नगर विकास
23	एस0 के0 वर्मा	निदेशक	संस्कृति
24	सर्वज्ञ राम मिश्र	सचिव	वाराणसी विकास प्राधिकरण
25	अनूप यादव	निदेशक	मण्डी परिषद
26	वाई0के0 गुप्ता	मुख्य अभियंता	लोक निर्माण विभाग
27	पी0 आर0 चौरसिया	मुख्य अभियंता	लघु सिंचाई